

प्रारूप-5

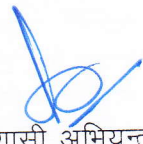
परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल-घण्डियालधार (मयाली) जू0हा0 स्कूल डाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.000 कि0मी0)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।




सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।


अधिशायी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

संख्या- 1146 / 11431 / 14-73 (अ.प्र.प्र.) / 2014

सहिता
सम. अभियंता
उत्तराखण्ड शासन

पञ्चसूय अभियंता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

सं. 1146
11.03.14

विभाग अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 04 मार्च 2014

विस्तीर्ण वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रधान धरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

समस्त विभाग के समक्ष में मुझे यह कहने का भिन्न हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा सहायक अभियंता प्रधान धरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया विभिन्न 08 कार्यों के प्राथमिक आगमन, जिनकी कुल लागत 23.25 करोड़ तथा लागत ₹ 135.84 लाख है, पर टी0पी0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण नहीं पाई गई। लागत ₹ 126.48 लाख (₹ एक करोड़ छह लाख अठ्ठासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में सहायक के कॉलेज सं0-6 पर उल्लिखित विवरणानुसार ज्ञाते कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 08 कार्य हेतु ₹ 0.90 लाख (₹ अठ्ठाई हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवेदन में उक्त कार्य की महानिर्देशन और सहायक निर्माणित शर्तों के अधीन सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों की समयबद्ध रूप से पूर्ण विधि अनुसार सहायक सहायक सं0-1764 / 11431 / 10-11 (सा.प्र.प्र.) / 2006 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थावलीपत्र में उल्लिखित निर्देशों के तहत कर शासन की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। वित्त परियोजना निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आपका न उल्लिखित उक्त का विवरण विभाग के अधीन अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमति प्राप्त नहीं है। उक्त कार्य के लिए आप सं. 1146 / 11431 / 10-11 (सा.प्र.प्र.) / 2006 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थावलीपत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्य पर उत्तर की देय किया जाय विभाग की स्वीकृत कार्य है, स्वीकृत नाम से अधिक देय कहाये न जाय। यदि प्रधान धरण हेतु स्वीकृति की जा रही धनराशि में वृद्धि हो रही है तो उक्तका सहायक अभियंता द्वारा सहायक सहायक सं. 1146 / 11431 / 10-11 (सा.प्र.प्र.) / 2006 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थावलीपत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्य प्रारम्भ के पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद मात्र प्रारम्भ हो। यदि कार्य प्रारम्भ विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। कार्य का समन्वय करने समस्त कार्य सुनिश्चित करें।

सहायक में जिन कार्य हेतु की स्वीकृति की गई है व्यय उक्त में ही किया जाय। एक सं. 1146 / 11431 / 10-11 (सा.प्र.प्र.) / 2006 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थावलीपत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

स्वीकृत किया जान वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रशासनिक सं. 2006 एवं उक्त के विवरण में समस्त-समस्त पर समस्त विभाग निर्देशों का कहनाई में अनुमति प्राप्त किया जायेगा। उक्तके अतिरिक्त कार्य हेतु उक्त के निर्देशों का अनुमति प्राप्त किया जायेगा।

मुझे सहायक उत्तराखण्ड शासन के सहायक सं. 2006 / XIV-319-2006 दिनांक 30-05-2006 द्वारा उक्त का कार्य कराने समस्त का आगमन निर्देश करने समस्त कहनाई में अनुमति प्राप्त सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक स्वीकृत आगमन में टी0पी0सी0 में अधिकतम सुनिश्चित निर्देशों ज्ञाते में ही समस्त का कार्य अनुमति सं. 22-सहायक-5054 सा.प्र.प्र. तथा सं. 1146 / 11431 / 10-11 (सा.प्र.प्र.) / 2006 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थावलीपत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

काया प्रति सत्यापित

काया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0
देवप्रयाग

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0
देवप्रयाग

काया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0
देवप्रयाग

13



-2-

(ix)- स्वीकृत किए जा रहे कार्यो को गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण वास्तविक संबंधित अधिराशी अभियान का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुदान जो जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा यदि स्वीकृत कार्यो के अभाव आरंभ वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत नव में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनास्तरीय स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है तो ऐसे कार्य भी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कगई गई डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो निवर्तनता को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुभाग सं०-22-लेखापरीक्षा-5054 रुककों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आवागमनगत -600-अन्य व्यय-03 राज्य सड़क-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे खर्चा जायेगा।

(3) यह आवेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-866(A)/XXVII(2)/2013 दि०: 04 मार्च 2014 में प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

मुख्य

प्रति

(सहस्र)

उन सचिव

संख्या - 1144 (1)/11(2)/14-72(आ०आ०)/2013 तदतिनांक।

प्रतिनिधि सदनलेखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव (मुख्य प्रधान), आवागमन मंत्रालय विभिन्न, माजरा कलकत्ता।
2. आयुक्त महानगर/कुनारु मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियंता, महानगर/कुनारु अत्र, लो ले वि, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ क्लायधिकारी देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सड़क केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. धन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीनस्थ अभियंता/अधिराशी अभियंता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, मुख्य।

अज्ञात

प्रति

(सहस्र)

उन सचिव

सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि०
देहरादून

छाया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि०
देहरादून

छाया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि०
देहरादून

आवना वश सूचना - 1144/1112/14-72(प्र0अ0)/2013 दिनांक 04 मार्च 2014 का संलग्न

(धनराशि लाख)

क्र. सं.	कार्य का नाम	सम्पादित किमी. में	राजपूतानी द्वारा अनुमानित लागत	ग्राम/पंचायत में व्यय हेतु अधिमुक्त धन
1	2	3	4	5
1	जनपद लखनसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किल्ला के अन्तर्गत ग्राम गौरीकला खुर्दिया ग्राम पंचायत के मैन्गेट तक हॉटमिक्स द्वारा पुनः निर्माण का कार्य।	4.500	0.77	0.10
2	जनपद लखनसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किल्ला के अन्तर्गत ग्राम सिमला पिरतौर हाईवे से झकझोर फार्म तक हॉटमिक्स द्वारा पुनः निर्माण का कार्य।	1.500	0.26	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कोर्तिनगर के अन्तर्गत डांग मुलाणा इल्हा कृष्ण मार्ग में परिवर्तन पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	1.250	4.22	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिन्डोलखोल-घण्डियालधार (नयाली)-जूहा 0 स्कूल झण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.50	25.13	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखोल पाटावला मोटर मार्ग से किंगोली बोन हूक मरोड़ा चौण्डी नकु लिक मोटर मार्ग का निर्माण	2.50	16.28	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कोर्तिनगर के अन्तर्गत पाली से अलाहू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.500	3.89	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कोर्तिनगर के अन्तर्गत हुण्डरौर किरवासर सखल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	11.67	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जामनौखोल से ब्राह्मि से बरगुन से मैसमोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	62.24	0.10
कुल -		23.25	126.46	0.80

कुल ₹ आसी हजार मात्र

साया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अवध 0. लोअनिधि
देवप्रयाग

साया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अवध 0. लोअनिधि
देवप्रयाग

साया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
अवध 0. लोअनिधि
देवप्रयाग